तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज दिदार खां बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 12/2021	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.03.21	अपीलार्थी दिदार खां पुत्र चांद खां, पता मु.पो. झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.12.2020 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत बड़लानगर पटवार क्षेत्र झंवर त0 लूणी जिला जोधपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमणियों द्वारा किए अतिक्रमण को हटाने के लिए दिनांक 29.08.2020 को जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर में कार्यवाही के लिए आवेदन किया था उसके बाद विभाग द्वारा अतिक्रमणियों के खिलाफ की कार्यवाही की सूचना ; से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 308 दिनांक 17.02.2021 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, राजस्थान सम्पर्क एवं अपर जिला कलक्टर द्वितीय जोधपुर के पत्र संख्या 286 दिनांक 17.12.21 द्वारा कुल 05 पृष्ठों की सूचना निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	